



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 18.08.2026

➤ थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 27.06.2026 को थाना राजपुर पर वादिनी द्वारा लिखित तहरीर बावत वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को अभियुक्त धीरेन्द्र द्वारा बहला फुसलाकर कहीं ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 74/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम धीरेन्द्र पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम अनवां, थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र पुत्र धर्मेन्द्र उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम अनवां, थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात को उसके घर ग्राम अनवां थाना क्षेत्र राजपुर से दिनांक 18.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

1. धीरेन्द्र उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम अनवां थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 74/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार
2. रि0का0 655 राजा
3. रि0का0 463 उदयवीर